



2026:AHC:50621-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जनहित याचिका संख्या - 2026 की 312

सोभनाथ प्रजापति एवं

अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7

अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: जयेंद्र कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: राजीव सिंह (एस.सी), लक्ष्मण प्रसाद ओझा, प्रवीण कुमार मिश्रा,

शरद कुमार

मुख्य न्यायाधीश की अदालत

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. यह याचिका, जो कथित रूप से जनहित में दायर की गई है, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को यह निर्देश देने की मांग के साथ प्रस्तुत की गई है कि वे एक मान्यता प्राप्त स्कूल भवन के परिसर में संचालित अनधिकृत गेस्टहाउस को वहां से हटाएँ और उसे बेदखल करें। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 8 और उसके सहयोगियों द्वारा अवैध रूप से गेस्टहाउस चलाने तथा छात्रों के शिक्षण कार्य और लोक कल्याण में बाधा डालने को रोका जाए।
2. याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि प्रतिवादी संख्या 6 (सोसाइटी) संस्था का संचालन कर रही है, जहाँ अब प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा बाहुबल के प्रयोग से 'आर.के. मैरिज लॉन' के नाम से गेस्टहाउस चलाया जा रहा है।
3. दिनांक 05.02.2026 के आदेश द्वारा, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया था और प्रतिवादी संख्या 6 से 8 को नोटिस जारी किए गए थे। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं।
4. यह दलील दी गई है कि प्रतिवादी संख्या 8 ने याचिकाकर्ता संख्या 1 के विरुद्ध एक एफ.आई.आर. (मुकदमा अपराध संख्या 91/2022) दर्ज कराई है, जो इसी विवादित संपत्ति/संस्था से संबंधित है। प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा दायर एक अन्य सिविल वाद भी इसी संपत्ति के संबंध में लंबित है। यह भी बताया गया कि प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 के विरुद्ध इसी संपत्ति और इन्हीं समान आरोपों के संबंध में एक रिट अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिका (रिट याचिका संख्या - 32398 of 2023) इस न्यायालय में लंबित है। इन तथ्यों के आलोक में तर्क दिया गया कि चूंकि पक्षों के बीच का विवाद पहले से ही सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय के समक्ष लंबित है, अतः इस जनहित याचिका को दायर करना क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग और दुर्भावनापूर्ण है।

5. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत निर्देशों के अनुसार, कथित स्कूल 'चक्रधारी विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल' (UDISE) पोर्टल पर मान्यता प्राप्त नहीं है। सत्र 2025-26 के लिए छात्रों की संख्या शून्य है और 2024-25 में केवल एक छात्र था, जिसने भी पढ़ाई छोड़ दी। पोर्टल पर किसी भी शिक्षक का विवरण नहीं है। सोसाइटी को नोटिस जारी कर संपत्ति के उपयोग के संबंध में जानकारी मांगी गई है।
6. याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि एफ.आई.आर. दर्ज होने के तथ्य को प्रकट करना आवश्यक नहीं था क्योंकि यह जनहित याचिका उस एफ.आई.आर. से स्वतंत्र है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 'काशी मानव विकास समिति' के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। छात्रों का पंजीकरण न होने का कारण यह है कि संपत्ति का उपयोग स्कूल के रूप में नहीं करने दिया जा रहा है।
7. प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के वकील ने प्रतिवादी संख्या 8 के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं का पुरजोर समर्थन किया और कहा कि लंबित रिट याचिका में राज्य और प्रतिवादी संख्या 8 मामले को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं।
8. मामले की समग्र परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा मानना है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह याचिका दायर करना सद्भावनापूर्ण नहीं है। याचिकाकर्ताओं के लिए यह आवश्यक था अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि वे प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. के तथ्य को प्रकट करते। साथ ही, सोसाइटी द्वारा पहले से लंबित रिट याचिका की जानकारी होने के बावजूद उसे छिपाना भी स्पष्ट रूप से गलत है। यदि याचिकाकर्ताओं को इस लंबित वाद की जानकारी नहीं थी, तो यह दर्शाता है कि याचिका बिना किसी उचित जांच-पड़ताल के दायर की गई है।

9. इस तथ्य को देखते हुए कि प्रतिवादी संख्या 6 और 7, अपनी स्वयं की रिट याचिका लंबित होने के बावजूद, इस याचिका में याचिकाकर्ताओं का समर्थन कर रहे हैं, हमें इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता। जैसा कि पहले ही कहा गया है, यह याचिका सद्भावनापूर्ण नहीं है।

10. अतः, यह याचिका **खारिज** की जाती है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

12 मार्च, 2026

मुकेश पाल / साजिया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।